

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2278 / 2022


दिनांक 25.07.2022

श्रीमती दीपिका सिंह (RJ0919), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर को दिनांक 06.09.2022 से 09.09.2022 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 04.09.2022 से 05.09.2022 एवं 10.09.2022 से 11.09.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सिंह की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/90/2015/5271

दिनांक 25.07.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 21499 दिनांक 24.06.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती दीपिका सिंह (RJ0919), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर।

  
सहायक रजिस्ट्रार